(V)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1623-एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-05-2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 58/2014-15 (अपील)

---

1. बेटू पटेल पुत्र श्री रामनाथ कुर्मी
2. प्यारे लाल पुत्र श्री रामनाथ कुर्मी

निवासी ग्राम दशरथ पुरवा तहसील चंदला जिला छतरपुर म.प्र .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सुदामा पुत्री सरजू पटेल

निवासी ग्राम दशरथ पुरवा तहसील चंदला जिला छतरपुर म.प्र .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित दिनांक 20-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक बेटू द्वारा मौजा चंदला की प्रश्नाधीन भूमि का वशीयतकर्ता के स्थान पर वशीयत दिनांक 19-11-2013 के आधार पर नामातंरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-6/2013-14 दर्ज कर दिनांक 13-5-2015 को आदेश पारित कर नामातंरण स्वीकार किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर के समक्ष

अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/2014-15 दर्ज कर दिनांक 20-05-2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका ओपेरेटिंग पैरा निम्नानुसार है ।

" अपीलार्थी अधिवक्ता को धारा 52 एवं ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किये गये । तर्कों से सहमत होते हुए अपील आवेदन पत्र सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाता है । धारा 52 पर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण प्राप्त होने तक के लिये स्थगन आदेश जारी किया जाये । तलवाना जमा होने उपरांत उत्तरवादीगण को आहूत करें । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाये ।"

अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका सूचना बाद भी अनुपस्थित उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक 9/अ-6/2013-14 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

6/ अनुविभागीय अधिकारी को उनके न्यायालय एवं तहसीलदार न्यायालय के अभिलेख वापस भेजे जाकर पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 06-08-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित हों । उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारों को सुनने के उपरांत आगामी निर्णय ले ।

(आर.के. जैन) 3/7/18

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर